"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2013—आश्विन 26, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रन्धि वेंकट रमना मूर्ति पिता स्व. श्री रन्धि अप्पल नरसैय्या, उम्र 42 वर्ष, निवासी रेल्वे कालोनी चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम रन्धि वेंकट रमना मूर्ति पिता स्व. श्री रन्धि अप्पल नरसैय्या इंगित है तथा मेरे सभी स्कूल सर्टिफिकेट में मेरा नाम रूधि वेंकट रमना मूर्ति पिता स्व. श्री आर. ए. नरसैय्या दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रन्धि वेंकट रमना मूर्ति पिता स्व. श्री आर. ए. नरसैय्या रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रन्धि वेंकट रमना मूर्ति पिता स्व. श्री आर. ए. नरसैय्या के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

वेंकट रमना मूर्ति
पिता-स्व. श्री आर. ए. नरसैय्या
निवासी-रेल्वे कालोनी चांपा
तहसील चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

नया नाम

रन्धि वेंकट रमना मूर्ति
पिता-स्व. श्री आर. ए. नरसैय्या
निवासी-रेल्वे कालोनी चांपा
तहसील चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मानसी नाग पति श्री जी. एस. सोलंकी, आयु 54 वर्ष, निवासी A/42, सेक्टर 1, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शंकर नगर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मैं श्रीमती मानसी सोलंकी पति श्री जी. एस. सोलंकी के नाम से जानी पहचानी जाती थी. मैं अपने उपनाम सोलंकी को परिवर्तित कर नया नाम मानसी नाम पति श्री जी. एस. सोलंकी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे मानसी नाग पति श्री जी. एस. सोलंकी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मानसी सोलंकी
पति श्री जी. एस. सोलंकी
निवासी-A/42, सेक्टर 1
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शंकर नगर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

मानसी नाग
पति श्री जी. एस. सोलंकी
निवासी-A/42, सेक्टर 1
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शंकर नगर
तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सौरभ नाग पिता श्री जी. एस. सोलंकी, आयु 31 वर्ष, निवासी A/42, सेक्टर 1, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शंकर नगर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी शालाओं, कालेजों एवं यूनिवर्सिटी व अन्य शासकीय दस्तावेजों / अभिलेखों में मेरा नाम सौरभ सोलंकी आत्मज श्री जी. एस. सोलंकी दर्ज है. मैं अपने उपनाम सोलंकी को परिवर्तित कर नया नाम सौरभ नाग रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सौरभ नाग पिता श्री जी. एस. सोलंकी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सौरभ सोलंकी
पिता श्री जी. एस. सोलंकी
निवासी-A/42, सेक्टर 1
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शंकर नगर
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

सौरभ नाग
पिता श्री जी. एस. सोलंकी
निवासी-A/42, सेक्टर 1
हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, शंकर नगर
तह. व जिला रायपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, नगरी जिला-धमतरी (छ. ग.)

नगरी, दिनांक 30 सितम्बर 2013

क्रमांक/1/ब 113/वर्ष 2013-14.—आवेदक श्री माधव सिंह ध्रुव, अध्यक्ष एवं अन्य 37 ग्राम सिरसिदा पोस्ट खम्हरिया तहसील नगरी जिला धमतरी छ. ग. निवासी ने छिपलीपारा प. ह. नं. 21 रा. नि. मं. सिहावा तहसील नगरी जिला धमतरी ख. नं. 644, 646, 647, 648 रकबा क्रमशः 0.56, 1.77, 0.01, 0.03 कुल ख. नं. 04 कुल रकबा 2.26 हेक्टेयर स्थित भूमि श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट देवऊरपारा (सिहावा) का छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा 4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने आवेदन प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व साधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 30-10-2013 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार को जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के निकलने के 01 माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियों में प्रस्तुत करें, और पेशी दिनांक को स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवें, निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट देवऊरपारा (सिहावा) छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	147607.90/-रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम छिपलीपारा में स्थित भूमि कुल ख. नं. 04 रकबा 2.26 हेक्टेयर भूमि का अनुमानित मूल्य 4000000.00 रु. है एवं ट्रस्ट का भवन अनुमानित लागत 500000.00 रु. है.

लक्ष्मी ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 30 सितम्बर 2013

प्रारूप

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 2546/प्र. 2/अ. वि. अ./2013. -यतः कि आवेदक सेटलर श्री सुब्हान खान आ. रमजान खान निवासी 5 मैत्री विहार सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा "CIDRA Trust" के छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन पेश किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 5 11 2013 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"CIDRA Trust" 51 बी मैत्री विहार सुपेला भिलाई तहसील व जिला दुर्ग
2.	चल संपत्ति	:	11000-00/-रुपये नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

संजय कुमार दीवान,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमण्डल जिला रायगढ़ (छ. ग.)

धरमजयगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्रमांक/102.—वन परिक्षेत्र अधिकारी छाल ने अपने पत्र क्रमांक/792 दिनांक 01-08-2013 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये मार्किंग हेमर त-8 RG तत्कालीन परिसर रक्षक सिंघीझाप श्री प्रभुदयाल अडमाचे को ओपन काष्ट खदान लात क्षेत्र में खड़े वृक्षों की विदोहन कार्य वर्ष 2006 में कराने हेतु उक्त मार्किंग हेमर का प्रदाय किया गया था जिसे उनके द्वारा गुमा दिया गया है. हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे हैं.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए गुमशुदा मार्किंग हेमर त-8 RG को अभिलेख से अपलेखित किया जाता है. हेमर की कीमत स्टोर स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं होने के कारण वर्तमान बाजार मूल्य लगभग रु. 250.00 (दो सौ पचास मात्र) तत्कालीन परिसर रक्षक सिंघीझाप श्री प्रभुदयाल अडमाचे से वसूल करने का आदेश दिया जाता है, तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

त-8
RG

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो वह हेमर निकटतम थाना अथवा वन मण्डल कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

सी. एल. अग्रवाल,
वनमण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.